

हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति विक्रेता श्री प्रदीप अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल मैसर्स अग्रवाल गजक कुल्फी पैठा बस स्टेण्ड झालावाड़ बहसियत मालिक को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य प्रदार्थ पैठा मिठाई को चार साफ सूखी व खाली प्लास्टिक की शिशियों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक नमूना शीशी में फोर्मलिन की 40-40 बूंद डालकर ढक्कन लगाकर एंयर टाईड बंद करके लेबल चिपकाये और लेबलो पर खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी-872 दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी-872 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जापों में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये, फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर स्वयं श्री रामनारायण गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय हाजा के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विश्लेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।


डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017 /396-97 दिनांक 29.09.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 1792/एलएस/कोटा/एक्ट/2017/675 दिनांक 27.09.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ पैठा मिठाई सब स्टैण्डर्ड होना पाया गया जांच रिपोर्ट इस्तगासे के साथ संलग्न है। जिसकी प्रति प्रदीप अग्रवाल को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई गई, जिसके विरुद्ध कोई अपील प्राप्त नहीं हुई है।

आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक 450 दिनांक 26.10.17 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ आवेदन किया कि उक्त केस में गैर सायल द्वारा खाद्य पदार्थ पैठा मिठाई सब स्टैण्डर्ड का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में वर्णित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायलान को जर्गे नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस में नियत दिनांक एवं समय पर अन्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल द्वारा अपनी मौखिक बहस अनुरोध किया गया कि उसके द्वारा उक्त पैठा अन्य दुकानदार से क्रय कर विक्रय किया गया था अब भविष्य में देखभाल कर पैठा क्रय करूंगा जुर्म स्वीकार है कम से कम जुर्माना किया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावें। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन के तथ्य की पुष्टि में सलग्न किये गये दस्तावेजो की ओर ध्यान आकृषित करते हुए कथन किया खाद्य पदार्थ पैठा मिठाई सब स्टैण्डर्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ सलग्न किया गया है। गैर सायल से खाद्य पदार्थ पैठा मिठाई सब स्टैण्डर्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से संबंधित दस्तोजन भी आवेदन के साथ सलग्न किये गये है। उक्त सभी दस्तावेजो से साबित होता है कि गैर सायल द्वारा खाद्य पदार्थ पैठा मिठाई सब स्टैण्डर्ड का विक्रय किया गया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड़ (राज०)

हमने बहस को सुना व पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध सभी दस्तावेजी साक्ष्यों से होती है। गैर सायल द्वारा खाद्य प्रदार्थ खाद्य पदार्थ पैठा मिठाई सब स्टैण्डर्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित होता है। गैर सायल का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 51 में उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मददेनजर रखते हुए इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैर सायल प्रदीप अग्रवाल को रू0 5000/ के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखित दफ़तर हो। निर्णय आज दिनांक 27.12.2017 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



**न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड़ (राज०)**

(भवानी सिंह पालावात)  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़  
पीठासीन अधिकारी भवानीसिंह पालावत आर०ए०एस

प्रकरण सख्या: 57/17

दायरा 04.12.2017

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी झालावाड़

प्रार्थी.....

बनाम

प्रदीप अग्रवाल आ० ओमप्रकाश अग्रवाल विक्रेता एवं मालिक निवासी वार्ड सं० 16 खण्डिया कॉलोनी  
झालावाड़

गैर सायलान.....

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)/51 एफ०एस०एस० एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित- 1- परोकार सरकार  
2- गैरसायल स्वयं

-: आदेश :-

दिनांक:- 27.12.2017



श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक /एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियाँ प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हू। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा० सेवार्यें राज० जयपुर के आदेश क्रमांक /एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधि० झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया कि दिनांक 10.09.17 को श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा दिये आदेशो की पालना में मय टीम के राजकीय वाहन से बस स्टेण्ड सर्किल झालावाड़ पहुँचकर मेरे द्वारा पहुँचकर मैसर्स अग्रवाल गजक कुल्फी पैठा जो कि एक टैले पर करीब 10 किलो. रखे गये थे। जो कि आम जनता को बैचान किया जा रहा था। जिसमें मिलावट के संदेह के आधार पर 2 किलो पैठा मिठाई खरीदकर एफएसएसए एक्ट में सम्पल लिया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य प्रदार्थ 10 किलो पैठा मिठाई झालावाड़ बस स्टेण्ड सर्किल पर एक टैले में रखकर आम जनता को बैचान किया जा रहा था। उसमे मिलावट का संदेह होने पर 10 किलो पैठा मिठाई जो कि एक पात्र में रखी हुई थी। जिसमे से 2 किलो पैठा मिठाई लेकर जिसकी कीमत विक्रेता को रु 240/- नगद देकर वास्तें नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी रसीद प्राप्त की जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे प्रदीप अग्रवाल पुत्र श्री ओम प्रकाश अग्रवाल विक्रेता एवं मालिक R/o वार्ड नं. 16 खण्डिया कॉलोनी झालावाड़ मैसर्स अग्रवाल गजक कुल्फी पैठा बस स्टेण्ड झालावाड़ बहसियत मालिक खाद्य पदार्थ पैठा मिठाई ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
झालावाड़ (राज०)